पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 354/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 17.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना- बरदह जनपद आजमगढ़: चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.24 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह रात्रि गस्त पर थे कि तभी सूचना मिली कि अभियुक्त रामफेर उर्फ दिल्लू पुत्र मन्नर ग्राम सिसरेड़ी थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 01 साइकिल चोरी करके भाग गया है जिसको पुलिस द्वारा साइकिल के साथ समय 10.10 बजे ठेकमा एस0बी0आई0 बैंक के सामने से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 356/24 धारा 303(2),317(2),317(4) BNS बनाम रामफेर उर्फ दिल्लू पुत्र मुन्नर निवासी ग्राम सिसरेड़ी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

2.बरामदगी का विवरण:- 10 भिन्न-भिन्न प्रकार की साइकिल व 560/- रु0

3.आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 53/2020 धारा *379/411* भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 288/24 धारा *305, 317(2)* बी0एन0एस0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

02.थाना- जीयनपुर जनपद आजमगढ़: प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1.गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.11.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रतिबन्धित पक्षियो के शिकार करने वाले की गिरफ्तारी अभिय़ान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगडी के कुशल निर्देशन व मुझ थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह के नेतृत्व उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह देखभाल क्षेत्र कस्वा अजमतगढ में मौजूद था कि सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ताल सलोना अजमतगढ में ताल के किनारे जाल लगाकर प्रतिवन्धित ताल की चिडिया मार रहे है तथा भागने के फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल जरिये दूरभाष वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारीयों को सूचित किया गया। मैं उ0नि0 मय हमराह कस्बा अजमतगढ़ से रवाना होकर सलोना ताल

पहुंचे तो ताल के किनारे लगभग 15 की संख्या मे लोग नाव से किनारे आते हुए दिख रहे थे। हम पुलिस वालो को देख कर वह सभी लोग इधर उधर भागने लगे कि तत्परता दिखाते हुये पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर सभी को पकड़ने का प्रयास किया गया परन्तु वह भागने में सफल रहे। एक व्यक्ति जो नांव पर बैठा था उसे मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र स्व0 कृपाल उम्र करीब 52 वर्ष ग्राम इसरहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया। उसके बगल मे मौजूद झोले की तलाशी लिया गया तो उसमे 05 अदद जीवित प्रतिबन्धित पक्षी मौजूद है। पकड़े गये व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि हम लोग टिकवा व टिटिहरी चिडिया, पक्षियो को पकड़ते है तथा मुनीब, कतवारू ,बंजर व दुर्गा साहनी जो अजमतगढ़ के ही रहने वाले है वह चारो लोग यहाँ पर आकर हमसे चिड़ियो को खरीदकर बाहर ले जाकर बेच देते हैं। पकड़े गये व्यक्ति से जब बरामद प्रतिबन्धित चिडिया को पकड़ने व रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो नही दिखा सका। अभियुक्त का यह कार्य 9/51वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध है जिसे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 08.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 512/2024 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि01972थाना जीयनपुर आजमगढ़ बनाम 1.ओमप्रकाश पुत्र स्व0 कृपाल निवासी इसरहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. मुनीब पुत्र अज्ञात 3. कतवारू पुत्र अज्ञात 4.बंजर पुत्र अज्ञात 5. दुर्गा पुत्र अज्ञात व 15 लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

2.बरामदगी का विवरणः- 05 प्रतिबन्धित जीवित बन्य जीव टिकवा व टिटिहरी चिडिया, एक साउण्ड बाक्स ।